<u>अति आवश्यक</u>

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : डीसी/ए–3/2016/ दिनांक :

1. **समस्त सहायक औषधि नियंत्रक**
   राजस्थान।
2. **समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी**
   राजस्थान।

विषयः– नियमित टीकाकरण में प्रयोग ली जाने वाली tOPV के सम्बंध में।
सन्दर्भः– निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर के पत्र क्रमांक इम्यू/विविध/2016/1529 दिनांक 11.02.2016.

उपरोक्त विषय में लेख है कि निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर ने उनके संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा लिये गये **निर्णयानुसार देश में 25 अप्रेल 2016 से tOPV (trivalent OPV) को उपयोग में नहीं लिया जावेगा व 25 अप्रेल 2016 से bOPV उपयोग में लाई जावेगी।**

OPV का उपयोग प्राईवेट क्षेत्र में भी लिया जाता है। आप अपने–अपने क्षेत्राधिकार में उक्त औषधि के स्टॉकिस्ट/विक्रेता को सूचीबद्ध करें जो नियमित टीकाकरण की वेक्सीन संधारण करते हैं तथा यह भी जानकारी प्राप्त करें कि उनके द्वारा निजी क्षेत्रों में यह वेक्सीन किन्हे उपलब्ध कराई जाती है। चूंकि यह अति महत्वपूर्ण है कि **किसी भी स्थिति में 25.04.2016 से tOPV को उपयोग में नहीं लिया जावेगा।** आप अपने अपने क्षेत्र के स्टॉकिस्ट/विकेता से tOPV के स्टॉक की जानकारी भी तुरन्त लेवें व **इसके पश्चात प्रति सप्ताह उनसे जानकारी लेकर अपने जिले के आर.सी.एच.ओ. को आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें।**

(अशोक भण्डारी)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : डीसी/ए–3/2016/60 दिनांक : 12/2/2016

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) राज0, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
5. परियोजना निदेशक (टीकारण), मुख्यालय।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को सभी संबंधित अधिकारियों को ई–मेल करें एवं विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित करावें।